समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

-: आदेश :-

आये दिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि क्षेत्र में चल रही योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् शिलापट्ट नहीं लगाये जा रहे हैं, जिससे यह पता नहीं चलता है कि उक्त योजना किस मद से बनी है, प्राक्कलित राशि क्या है तथा अभिकर्त्ता कौन हैं।

अतः सभी कार्यकारी एजेंसियों को आदेश दिया जाता है कि योजना पूर्ण होते ही योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, योजना किस मद की है, प्रारंभ की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, अभिकर्त्ता का नाम इत्यादि शिलापट्ट लिखवाकर लगवाना सुनिश्चित किया जाय ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो सके एवं योजना कार्य में पारदर्शिता लायी जा सके।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1829/वि0, मधेपुरा, दिनांक 09/09/13

प्रतिलिपि : उप विकास- आयुक्त, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता (आपदा), मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला के सभी कार्यालय प्रधान /जिला के सभी तकनीकी पदाधिकारी /प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी /कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

09/09/13

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।